Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[Misc Case No.-64/2025]
Kiran Kumari..Petitioner.
Versus
The State of Bihar & Ors..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	16.4.2026	**आदेश** यह विविध वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका सं.-24842/2018 में दिनांक-21.8.2025 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-08.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। सुनवाई में Petitioner के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि पूर्णिया जिला के धमदाहा अनुमंडल के लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति हेतु चयन समिति की बैठक में आवेदिका का चयन न करते हुए विपक्षी अर्चना कुमारी का चयन कर लिया गया, जो सही नहीं है। तथा यह कि इसके आलोक में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सं.-24842/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-21.8.2025 को आदेश पारित किया गया। उनका यह भी कहना है कि Petitioner उक्त PDS Dealership के अनुज्ञप्ति हेतु सभी अर्हता धारित करती है। सुनवाई में Petitioner के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी के पति पूर्व से ही PDS दुकान का संचालन करते थे, जिस कारण समिति द्वारा विपक्षी का चयन किया जाता गलत है। Petitioner के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विपक्षी के नाम से PDS अनुज्ञप्ति को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी का कहना है कि समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016 के आधार पर प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उनके एवं आवेदिका के अलावा अन्य कई अभ्यर्थियों द्वारा अपना आवेदन समर्पित किया गया। तथा यह कि उक्त आवेदन पत्रों की तुलनात्मक विवरणी में प्रथम स्थान पर रहने के आलोक में उनका चयन जिला चयन समिति के द्वारा दिनांक-15.12.2018 को किया गया। उनकी ओर से इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि दिनांक-15.12. 2018 को जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के आलोक में नयी अनुज्ञप्ति हेतु चयन समिति की बैठक में धमदाहा अनुमंडल अन्तर्गत बी.कोठी प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत के लिए प्रकाशित मेधा सूची में प्रथम स्थान पर रहने के आलोक में विपक्षी अर्चना कुमारी का चयन किया गया। सुनवाई में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विपक्षी के पति द्वारा पूर्व से ही जन वितरण प्रणाली विक्रेता रहने संबंधी तथ्यों का उल्लेख किया गया। परन्तु उनके द्वारा विपक्षी को अनुज्ञप्ति प्रदान की तिथि तक विपक्षी के	

16.4.2026

पति द्वारा PDS दुकान का संचालन करने से संबंधित कोई साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका। कागजातों में संदर्भित तुलनात्मक विवरणी के अवलोकन से यह परिलक्षित हो रहा है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बी.कोठी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी के पति अशोक राम पूर्व में ज.वि.प्र. विक्रेता थे। वर्त्तमान में जन वितरण प्रणाली विक्रेता नहीं हैं। जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि विपक्षी को PDS अनुज्ञप्ति मिलने के समय उनके पति द्वारा PDS दुकान का संचालन नहीं किया जा रहा था। सुनवाई में आवेदिका की ओर से विपक्षी के चयन को वैध नहीं मानने के संबंध में कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

अतः उपरोक्त तथ्यात्मक Findings के आधार पर विपक्षी अर्चना कुमारी के चयन को विधिसम्मत पाते हुए इस वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Braj K.
16/4/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।
Braj K.
16/4/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया